न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 150/2024

स्टेट जरिये श्री संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनाम:–

सुभाष चन्द्र पुत्र श्रवण कुमार स्वामी (विक्रेता)
मैसर्सः–स्वामी मिष्ठान भंडार, जामा मस्जिद के पास, नोहर, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–वार्ड नं. 16, जोगीआसन मोहल्ला, नोहर, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः–

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांक :–23.04.2025

प्रार्थी श्री संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार दिनांक 01.12.2023 को समय दोपहर 03.25 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः–स्वामी मिष्ठान भंडार, जामा मस्जिद के पास, नोहर, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर सुभाष चन्द्र पुत्र श्रवण कुमार स्वामी (विक्रेता) निवासी–वार्ड नं. 16, जोगीआसन मोहल्ला, नोहर, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते फ्रिज में Dahi (Loose) तादाद करीब 02 किलोग्राम रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 800 ग्राम Dahi (Loose) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखे खाली प्लास्टिक के जार में भरकर लिया तथा प्रत्येक जार के Dahi (Loose) में 16–16 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Dahi (Loose) के खरीद मूल का 60/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 800 ग्राम Dahi (Loose) को चार बराबर भाग में प्लास्टिक के जार में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके–3153 मिन पर दर्ज कर चारों जार पर चिपकाया। प्रत्येक जार को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके–3153 मिन पर दर्ज कर चारों जार पर चिपकाया। प्रत्येक जार को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार–चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1978 दिनांक 12.12.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/4746–47 दिनांक 19.12.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard खाद्य पदार्थ Dahi (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Dahi (Loose) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जबाव पेश किया कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टैण्डर्ड दही का बेचान नहीं किया गया है। इसलिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (2) का उल्लंघन किया जाने का प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध नहीं बनता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिये इस मामले की गहन एवं निष्पक्ष जांच का अनुरोध करते हुये अप्रार्थी के विरूद्ध समस्त कार्यवाही गलत रूप से विहित प्रक्रिया अनुसार नमूना ना लेने एवं प्रक्रिया को अनदेखा कर नमूना लेने के कारण प्रश्नगत समस्त कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। अप्रार्थी का प्रतिष्ठान लंबे समय से दही व उसके अन्य उत्पाद का विक्रय कर रहा है, जो गुणवता मानकों को पूरा करते हैं या उससे बेहतर तरीके से बनाता आ रहा है। अप्रार्थी ने नियमित रूप से निर्धारित मानकों का अनुपालन किया है। इस घटना से पहले हमारे प्रतिष्ठान के विरूद्ध पूर्व में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। दही का नमूना सही तरीके से नहीं लेने अर्थात प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारणवश ही रिपोर्ट दिनांक 12.12.2023 सब स्टैण्डर्ड की प्राप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट दिनांक 12.12.2023 कतई त्रुटिपूर्ण होने से अप्रार्थी को ऐतराज है। अप्रार्थी अपनी खाद्य उत्पाद प्रक्रिया में कठोर गुणवता नियंत्रण उपाय बनाये रखते हैं। जिसमें हमारे उत्पादों का नियमित परीक्षण और नमूनीकरण प्रक्रिया शामिल है जो हमारे ग्राहकों को सुरक्षित और उच्च गुणवता वाला उत्पाद प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। अतः जबाव प्रार्थना पत्र बमय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिये इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच का अनुरोध करते हुये अप्रार्थी के विरूद्ध समस्त कार्यवाही गलत रूप से विहित प्रक्रिया अनुसार नमूना ना लेने एवं प्रक्रिया अनदेखा कर नमूना लेने के कारण प्रश्नगत समस्त कार्यवाही दुषित होने से आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Dahi (Loose) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Dahi (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/–(अखरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़